रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.—33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 24, 2008/श्रावण 2, 1930 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 115
No. 117] DELHI, THURSDAY, JULY 24, 2008/SRAVANA 2, 1930 [N.C.T.D. No. 115

भाग–IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (कर एवं स्थापना) विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 24 जुलाई, 2008

सं. फा. 3(21)/वित्त (कर एवं स्था.)/2008-2009/जेएसएफ/350.— जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के मत से ऐसा करना आम जनता के हित में समीचीन है ।

अब, इसलिए, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 103 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के साथ संलग्न छठी अनुसूची में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिनियम के साथ संलग्न छठी अनुसूची में,—

1. भाग–क के क्रम संख्या 1 की प्रविष्टि में, क्रम संख्या (33) जर्मनी की उपप्रविष्टि में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

"(33) जर्मनी [(i) दूतावास/प्रदूतावास तथा राजनयिकों के संबंध में वैट की छूट/रिफण्ड के लिये प्रति खरीद प्रति व्यापारी न्यूनतम बीजक मूल्य 5600/- रुपये होगा, (ii) राजनयिकों के व्यक्तिगत मामले में प्रति वित्तीय वर्ष छूट/रिफण्ड की अधिकतम सीमा 33,600 होगी (वाहनों की खरीद पर वैट छोड़कर), (iii) खाद्यान्नों तथा तम्बाकू उत्पादों के संबंध में वैट की छूट/रिफण्ड प्राप्त नहीं होगा ।]"

2. भाग–क के क्रम संख्या 1 की प्रविष्टि में, क्रम संख्या (85) सिंगापुर की उपप्रविष्टि में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

"(85) सिंगापुर [(i) उच्च आयोग/महाप्रदूतावास/प्रदूतावास के कार्यालय प्रयोग हेतु खरीद के लिए वैट की छूट/रिफण्ड दी जायेगी, (ii) जल/बिजली/कुकिंग गैस के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर वैट की छूट/रिफण्ड की सुविधा राजनयिकों के निजी प्रयोग हेतु की गई खरीद के लिये वापिस ली गई है।]"

FINANCE (T&E) DEPARTMENT
NOTIFICATIONS

Delhi, the 24th July, 2008

No. F. 3 (21)/Fin. (T&E)/2008-2009/JS/Fin./350.—Whereas, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is expedient in the interest of general public so to do.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 103 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004, (Delhi Act, 3 of 2005), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, makes the following amendment in the Sixth Schedule appended to the said Act, namely :—

AMENDMENTS

In the Sixth Schedule appended to the said Act,—

1. In the entry at Sl. No. 1, in part-A, the sub-entry at Sl. No. (33) Germany, the following shall be substituted, namely :—

"(33) GERMANY [(i) The minimum invoice value per purchase per dealer for exemption/refund of VAT in respect of the Embassy/Consulates and diplomats will be Rs. 5600/-, (ii) in respect of personal purchases of diplomats, the maximum limit for exemption/refund will be Rs. 33,600/- (excluding VAT on purchase of vehicles) per Financial Year, (iii) Exemption/refund of VAT will not be available in respect of food stuff and tobacco products.]"

2. In the entry at Sl. No. 1, in part-A, the sub-entry at Sl. No. (85) Singapore, the following shall be substituted, namely :—

"(85) SINGAPORE [(i) Exemption/refund of VAT will be granted for purchases for official use of the High Commission/Consulate General/Consulate, (ii) The facility of exemption/refund of VAT on goods other than Water, Electricity and Cooking Gas withdrawn for purchases made for personal use of diplomats.]"

सं. फा. 3(10)/वित्त (कर एवं स्था.)/2008-2009/जेएसएफ/351.— जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के मत से ऐसा करना आम जनता के हित में समीचीन है।

अब, इसलिए, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 में आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियमावली

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) नियमावली, 2008 कहा जाये।

(2) ये जून, 2008 से प्रभावी होंगे।

2. **नियम 7 का संशोधन.**—दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 (इसके पश्चात् "मूल नियमावली" के रूप में संदर्भित) के नियम 7 में,—

(i) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(1) धारा 9 की उप-धारा (6) तथा धारा 10 की उप-धारा (3) के उद्देश्यों के लिये दिया गया कर निम्नलिखित विनिर्धारित प्रतिशतता के अनुसार कम किया जायेगा :—

(क) द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के मामले में— 100 प्रतिशत

(ख) तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के मामले में— 50 प्रतिशत

(ग) चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के मामले में— 10 प्रतिशत

(घ) धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट— 16 प्रतिशत"

किन्हीं अन्य वस्तुओं के मामले में

(ii) उप-नियम (4) में अंत में आने वाले "3 प्रतिशत" शब्द तथा अंक के स्थान पर "2 प्रतिशत" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,
अजय कुमार गर्ग, संयुक्त सचिव

No. F. 3(10)/Fin.(T&E)/2008-2009/JS/Fin/351.—Whereas, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is of the opnion that it is expedient in the interest of general public so to do.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 102 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, makes the following rules to further amend the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, namely :—

RULES

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Value Added Tax (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force with effect from 1st June, 2008.

2. Amendment of Rule 7.—In the Delhi Value Added Tax Rules, 2005 (hereinafter referred to as "the principal Rules"), in rule 7,—

(i) for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely,—

"(1) For the purposes of sub-section (6) of Section 9 and sub-section (3) of Section 10, the tax credit shall be reduced by the following prescribed percentages :—

(a)	in the case of goods specified in the Second Schedule	—100 per cent
(b)	in the case of goods specified in the Third Schedule	—50 per cent
(c)	in the case of goods specified in the Fourth Schedule	—10 per cent
(d)	in the case of any other goods specified in clause (e) of sub-section (1) of Section 4	— 16 per cent"

(ii) for the word and figure "3 per cent" occurring at the end of sub-rule (4) the word and figure "2 per cent" shall be substituted.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

AJAY KUMAR GARG, Jt. Secy.

योजना विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 24 जुलाई, 2008

सं. फा. 9(18)/2006-सीसी/योजना/7486.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा योजना विभाग, दिल्ली सरकार (सांख्यिकी अधिकारी) भर्ती नियमावली, 1995 के अधिक्रमण में, उक्त अधिक्रमण से पहले किए गए या छोड़े गए कार्यों के अलावा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में सांख्यिकी अधिकारी आदि के पदों की भर्ती पद्धति के विनियम से संबंधी नियमों को एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप से बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ** :—(1) इस नियमावली को योजना विभाग, दिल्ली सरकार सांख्यिकी अधिकारी भर्ती नियमावली, 2008 कहा जायेगा।

(2) ये नियम विवरणात्मक ज्ञापन में दिए गए विवरण के अनुसार सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या इनका वर्गीकरण तथा उनके संबंधित वेतनमान, नियमावली की अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट रूप में होगा।

3. भर्ती पद्धति, आयु-सीमा तथा शैक्षिक योग्यता आदि.—भर्ती पद्धति, आयु-सीमा तथा शैक्षिक योग्यता तथा उक्त पदों से संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (14) में विनिर्दिष्ट रूप में होंगे।

4. अयोग्यता :—ऐसा कोई भी व्यक्ति.—

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है। वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है/किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. बचाव.—इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्धित किये जाने के लिए आरक्षण अपेक्षित आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विवरणात्मक ज्ञापन

पुनर्गठित दिल्ली सरकार के योजना एवं सांख्यिकी संवर्ग में निम्नलिखित छः ग्रेड हैं अर्थात् :—

क्र.सं.	ग्रेड	वर्गीकरण
1.	निदेशक (योजना, अर्थ एवं सांख्यिकी) ग्रेड	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित
2.	संयुक्त निदेशक (योजना) ग्रेड	
3.	उप निदेशक (योजना एवं सांख्यिकी) ग्रेड	
4.	सहायक निदेशक (योजना एवं सांख्यिकी) ग्रेड	
5.	सांख्यिकी अधिकारी ग्रेड	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख'
6.	सांख्यिकी सहायक ग्रेड	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित

2. सरकार ने फरवरी, 2003 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के योजना एवं सांख्यिकी संवर्ग की समीक्षा के लिए संवर्ग समीक्षा समिति का गठन किया था। समिति ने पाया कि विद्यमान भर्ती नियमावली के अनुसार सांख्यिकी सहायक से अनुसंधान अधिकारी पद पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता अवधि 5 से 7 वर्ष तथा अनुसंधान अधिकारी से सांख्यिकी अधिकारी पर पदोन्नति के लिए 3-5 वर्ष है। यद्यपि सांख्यिकी सहायक से सांख्यिकी अधिकारी पद पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता अवधि केवल 12 वर्ष है, परन्तु वास्तव में 32 वर्ष (सामान्य वर्ग) तथा 17 वर्ष (अनु. जाति वर्ग) की अवधि तक कार्य करने के पश्चात् भी सांख्यिकी सहायकों को सांख्यिकी अधिकारी के अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नत नहीं किया जाता। लम्बी अवधि तक अटकाव को देखते हुए समिति ने 5500—9000 रुपये के वेतनमान में अनुसंधान अधिकारी के 81 स्वीकृत पदों को समाप्त करने की सिफारिश करते हुए इनके स्थान पर 6500—10500 रुपये के वेतनमान में सांख्यिकी अधिकारियों के 76 पदों के सृजन की सिफारिश की है।

3. सांख्यिकी सहायक तथा अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में 32 वर्ष की (सामान्य के लिए) तथा 17 वर्ष (अनु. जाति) की नियमित सेवा की दीर्घ संयुक्त रेजिडेन्सी अवधि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी विद्यमान अनुसंधान अधिकारियों को 6500—10500 रुपये के वेतनमान में सांख्यिकी अधिकारी के पद पर 1 दिसम्बर, 2006 (वह तिथि जिससे योजना एवं सांख्यिकी संवर्ग का पुनर्गठन किया गया) से पिछले प्रभाव से पदोन्नति देने का निर्णय लिया गया है। यह उन सभी अनुसंधान अधिकारियों की वि.प.सा. द्वारा उपयुक्ता के मूल्यांकन के पश्चात् किया गया, जिन्होंने 3 वर्ष की अपेक्षित अर्हक सेवा या 5500—9000 रुपये के वेतनमान में अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में तथा 5000—8000 रुपये के वेतनमान में सांख्यिकी सहायक/सांख्यिकी निरीक्षक छह वर्ष की संयुक्त सेवा पूरी कर ली हो।

4. प्रमाणित किया जाता है कि ग्रेड में किसी व्यक्ति पर इन अनुसंधान अधिकारी के 6500—10000 रुपये के वेतनमान में पिछले प्रभाव से सामूहिक पदोन्नति देने से कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।

सांख्यिकी अधिकारी दिल्ली सरकार के पद के भर्ती नियम

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु. से)	क्या चयन है या गैर चयन पद	क्या जोड़े गये सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है
1	2	3	4	5	6
सांख्यिकी अधिकारी	135 * 1. प्रशा. सु.वि.-1 2. अ.आ.अ. अस्पताल-1 3. बा.सा.अ. अस्पताल-2 4. चा.ने.बा. चिकित्सालय-2 5. केन्द्रीय जेल-1 6. उपायुक्त कार्यालय-9 7. अर्थ एवं सांख्यिकी नि-11 8. डीएसएसएसबी-1 9. दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल-2 10. विकास-3	सामान्य सिविल सेवा ग्रुप 'ख' राजपत्रित	6500-200-10,500	चयन	लागू नहीं

11. परिवार कल्याण निदेशालय-5
12. स्वास्थ्य सेवा निदेशालय+
    अस्पताल-23
13. डॉ. बी.आर. सुर अस्पताल-1
14. समाज कल्याण निदेशालय-3
15. अनु जा/जनजाति/अन्य
    पिछड़ा वर्ग कल्याण-4
16. उच्च शिक्षा-1
17. प्रशि. एवं तक. शिक्षा
    निदेशालय-2
18. शिक्षा-3
19. रोजगार-6
20. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति-2
21. सा.प्र.दि.-1
22. जी.बी. पंत अस्पताल-2
23. गु.ते.ब. अस्पताल-3
24. स्वास्थ्य एवं परि. कल्याण-1
25. गृह-1
26. सिंचाई एवं बाढ नि.-1
27. सूचना प्राद्यौगिकी-1
28. औद्योगिक विभाग-1
29. श्रम विभाग-2
30. भूमि व भवन विभाग-3
31. विधि एवं न्याय-1
32. लो.ना. अस्पताल (ट्रामा)-1
33. एल.एन.जे.पी. अस्पताल-1
34. एम.ए.एम.सी.-1
35. एम.ए.एम.सी. (डेन्टल)-1
36. एन.एच.एम.सी.-1
37. खा.अपमिश्रण.नि.-1
38. योजना-17
39. प.सह. समिति-2
40. स.गां. स्मारक अस्प.-1
41. व्यापार एवं कर-1
42. पर्यटन-1
43. परिवहन-5
44. शहरी विकास-1
45. भार एवं माप-1

*2008 कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय

2809 DG/08-2

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
7	8
30 वर्ष से अधिक नहीं केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय । टीप : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिजीवन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है ।	**अनिवार्य :–** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी/अनुप्रयुक्त सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या अंकगणित या वाणिज्य (स्नातक स्तर पर सांख्यकी एक विषय/पेपर के रूप में) में स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष । (ii) सांख्यिकी डाटा को एकत्र करने, समेकित करने तथा संबंधी या प्लान स्कीम को तैयार करने, निर्माण करने, संचालन तथा मूल्यांकन का योजना कार्य का एक वर्ष का अनुभव । टीप-1 : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अभिलेखबद्ध कारणों के आधार पर शिथिलनीय है । टीप-2 : यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अभिलेखबद्ध कारणों के आधार पर शिथिलनीय है।

क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत
9	10	11
नहीं	सीधी भर्ती के लिये दो वर्ष	(i) 75 प्रतिशत पदोन्नति जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (ii) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती

यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है
12	13	14
पदोन्नति : 5000-8000/-रु. के वेतनमान में सांख्यिकीय सहायक/सांख्यिकी निरीक्षक ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा । **नोट :–** जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है । उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणी होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि	**ग्रुप 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचारार्थ)** 1. वित्त आयुक्त –अध्यक्ष 2. प्रधानसचिव (योजना)/सचिव (योजना) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार –सदस्य 3. सचिव (सेवाएँ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार –सदस्य 4. संबंधित विभागाध्यक्ष जब तक वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली –सदस्य	सीधी भर्ती तथा प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

12	13
अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है ।	सरकार में पदेन सचिव न हो ।
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :	5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का अधिकारी जो संयुक्त सचिव के रैंक से कम न हो लिया जायेगा जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों पर विचार किया जाना है । —सदस्य
केन्द्रीय/ राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी :-	
(क) (1) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारण करने वाले; अथवा	ग्रुप 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण हेतु)
(2) मूल संवर्ग/विभाग में 5500-9000 रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा; या	1. वित्त आयुक्त —अध्यक्ष
(3) मूल संवर्ग/विभाग में 5000-8000 रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में छह वर्ष की सेवा; तथा	2. प्रधानसचिव (योजना)/सचिव (योजना) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार —सदस्य
(ख) कालम 8 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यताएँ एवं अनुभव रखने वाले ।	3. संबंधित विभागाध्यक्ष जब तक वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पदेन सचिव न हो —सदस्य
भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी शृंखला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे । इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे ।	
प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग ने इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्व-धारित किसी अन्य गैर-संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी ।	

एल. एन. मीणा, संयुक्त निदेशक

PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 24th July, 2008

No. F. 9(18)/2006-CC/Plg./7486.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Planning Department, Govt. of NCT of Delhi (Statistical Officer) Recruitment Rules, 1995, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Statistical Officer etc. in various departments of Govt. of National Capital of Delhi, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Department of Planning, Govt. of NCT of Delhi (Statistical Officer) Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette and as per details given in the explanatory memorandum.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, age-limit and qualifications etc.**–The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Government of NCT of Delhi may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Serviceman, Other Backward classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The restructured Planning and Statistical Cadre of the Govt. of NCT of Delhi has six grades namely :—

S.No.	Grade	Classification
1.	Director (Plg., Eco. & Statistics)'s Grade	General Central Service Group' A' Gazetted.
2.	Jt. Director (Plg.)'s Grade	
3.	Dy. Director (Plg. & Statistics)'s Grade	
4.	Asstt. Director (Plg. & Statistics)'s Grade	
5.	Statistical Officers' Grade	General Central Service Group 'B' Gazetted.
6.	Statistical Assistants Grade	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted

2. The Govt. had set up a cadre review committee in February, 2003 to review the Planning & Statistical Cadre of the Govt. of NCT of Delhi. The Committee observed that as per existing recruitment rules the minimum qualifying period for the promotion from Statistical Assistant to Research Officer is 5 to 7 years and from Research Officer to Statistical Officer is 3–5 years respectively. Although the minimum qualifying period for the promotion from Statistical Assistant to Statistical Officer is only 12 years but in actual terms, the Statistical Assistants even after working for a period of 32 years (General Category) and 17 years for (ST Category) could not be promoted to the next higher grade of Statistical Officer. Keeping in view the prolonged stagnation, the Committee, recommended abolition of all the 81 sanctioned posts of Research Officers in the pay scale of Rs. 5500-9000 and creation of 76 posts of Statistical Officers in the pay scale of Rs.6500-10,500 in lieu of these.

3. Keeping in view the prolonged combined residency period of more than 32 years (for General) and 17 years (for ST) of regular service in the grade of Statistical Assistant and Research Officer. Govt. has decided to give en-block promotion to all the existing Research Officers to the post of Statistical Officer in the pay scale of Rs.6500-10,500 with retrospective effect from 1st December, 2006 (i.e. date on which Planning & Statistical Cadre was restructured), after assessment of the suitability of all those Research Officers who had the requisite qualifying service of 3 years or have completed the combined service of six years in the grade of Research Officer in the scale of pay of Rs. 5500-9000 and Statistical Assistant/Statistical Inspector in the pay scale of Rs. 5000-8000 by the DPC.

4. It is certified that none in the cadre will be adversely affected by giving en-block promotion to these Research Officers to the post of Statistical Officers in the pay scale of Rs.6500-1 0,500 with retrospective effect.

Recruitment Rules for the post of Statistical Officer, Govt. of NCT of Delhi.

Name of Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible
1	2	3	4	5	6
Statistical Officer	135 * 1. Admn. Reform Deptt.-1 2. AAA Hospital-1 3. BSA Hospital-2 4. CNB Chikitsalaya-2 5. Central Jail-1	GCS Group'B' Gazetted	Rs. 6500-200-10500/-	Selection	Not applicable

2

6. DC Office-9
7. DES-11
8. DSSSB-1
9. DDU Hospital-2
10. Dev.-3
11. DFW-5
12. DHS+ Hospitals-23
13. Dr. B.R. Sur. Hosp.-1
14. DSW-3
15. Welfare of SC/ST/OBC-4
16. Higher Education-1
17. Dte. of T&TE-2
18. Education-3
19. Employment-6
20. Food & Civil Supplies-2
21. GAD-1
22. GB Pant Hospital-2
23. GTB-3
24. H & FW-1
25. Home-1
26. I&FC-1
27. Information Technology-1
28. Industries Department-1
29. Labour Deptt.-2
30. Land & Building Deptt.-3
31. Law & Judicial-1
32. L.N. Hospital (Trauma)-1
33. LNJP Hospital-1
34. MAMC-1
35. MAMC(Dental)-1
36. NHMC-1
37. PFA-1
38. Planning-17
39. RCS-2
40. SGMH-1
41. Trade &Taxes-1
42. Tourism-1
43. Transport-5
44. Urban Dev. -1
45. Weight & Measurement-1

* 2008 Subject to variation dependent on workload.

2809 DG/08-3

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	**Method of recruitment :** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10	11
Not exceeding 30 years.**	**Essential :—** (i) Post Graduate Degree in Statistics/Applied Statistics of a Recognised University or equivalent; or Post Graduate Degree in Economics or Mathematics or Commerce (With Statistics as one of the subjects/papers at degree level) of a recognized University or equivalent. (ii) One year's experience of Statistical work involving collection, compilation and interpretation of statistical data or planning work involving formulation, monitoring and evaluation of plan schemes. **Note 1.**— Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2.**— The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	No	2 years for direct recruits.	(i) 75% by promotion failing which by deputation ; (ii) 25% Direct Recruitment.

**Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Note:—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of J & K State, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshdweep.

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption grades from which promotion/deputation/ absorption to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment
12	13	14
Promotion— Statistical Assistant/Statistical Inspector in the pay scale of Rs.5000-8000/- with six years of regular service. **Note :**—Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or 2 years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Deputation :**— Officers under the Central/State Governments/Union Territories. a.(i) Holding analogus post on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with 3 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs.5500-9000 or equivalent in the parent cadre/department or (iii) with 6 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs.5000-8000 or equivalent in the parent cadre/deptt. and b. Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Col. 8. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum	Group 'B' DPC (for considering promotion) : 1. Financial Commissioner —Chairman 2. Pr. Secretary (Plg.)/ Secretary (Plg.) Govt. of NCT of Delhi —Member 3. Secretary (Services) Govt. of NCT of Delhi —Member 4. Head of Department concerned unless he is ex-officio Secretary in Govt. of NCT of Delhi —Member 5. An officer belonging to SC/ST not below the rank of Jt. Secretary in Govt. of NCT of Delhi —Member Group 'B' DPC (for confirmation) 1. Financial Commissioner —Chairman 2. Pr. Secretary (Plg.)/ Secretary (Plg.) Govt. of NCT of Delhi —Member 3. Head of Department concerned unless he is ex-officio Secretary in Govt. of NCT of Delhi. —Member	Consultation with UPSC necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation.

12	
age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.	

L. N. MEENA, Jt. Director

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.